

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज0,जयपुर

सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विचाराधीन लंबित प्रकरणों का विवरण

दिनांक 05.5.2022 तक

क्र.सं.	राज्य सेवक का नाम व पद एवं जन्मतिथि	संबंधित नियम के अन्तर्गत जारी किये गये ज्ञापन की सं. एवं दि. संक्षिप्त में आरोप (वर्षवार क्रम में)	क्या आरोपी कर्मचारी का उत्तर प्राप्त हो चुका है।	जांच अधिकारी का नाम व पद एवं नियुक्ति तिथि	क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? हाँ/नहीं	यदि जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, तो उस पर की गई कार्यवाही	जांच की वर्तमान स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	श्री ऋषभचन्द्र जैन, से.नि. स. ले.अ. ग्रेड-II सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 889/ जांच 1249-52 दिनांक 24.1.2001	राजस्थान सरकार के कर्मचारी रहते हुए बिना किसी सक्षम स्वीकृति के माननीय राज.सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर, श्रम न्यायालय प्रथम एवं द्वितीय जयपुर तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर में उपस्थित होकर विभिन्न अपीलों व प्रकरणों में पैरवी कर राज.सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 3(i)(ii) व 18 तथा राज. सेवा नियमों के नियम 43 का उल्लंघन कर घोर अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में।	नहीं	वर्तमान में संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II) जांच अधिकारी नियुक्त किये गये।	हाँ	-	आरोप पत्र दि. 24.1.2001 को जारी किया गया। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश दि. 8.7.02 के द्वारा आगामी आदेश तक जांच को स्थगित रखा गया है। यू.ओ.नोट दि. 26.8.2020 एवं 18.03.2021, 23.11.21, 25.02.22, 04.05.22 के द्वारा स्थगन/रिट याचिका की वर्तमान स्थिति/अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रभारी अधिकारी प्रकरण से चाही गयी है।
2	श्री हेमन्द्र सिंह	एफ.1(सी)	राजकोष को हानि पहुंचाने के	हाँ	कोषाधिकारी	हाँ	-	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आरोपी से

	राव क.ले. जन्मतिथि 18.11.70	1217 / जांच / 440-44 दि. 29.2.08	आरोप से आरोपित		उदयपुर 5.6.08			जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन चाहा गया है अभ्यावेदन में आरोपी ने अवगत करवाया कि उनके विरुद्ध प्रकरण में एफ.आई.आर. थाना गोवर्धन विलास, जिला उदयपुर में दर्ज है। अतः प्रकरण को लंबित न्यायिक कार्यवाही के निर्णय तक लंबित रखा गया। प्रकरण में पत्र दि. 17.9.19, 19.6.20, 4.12.20, 13.01.21, 12.03.21, 23.11.21, 25.02.22 के द्वारा कार्मिक-III शाखा से कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही जा रही है। पत्र दि. 21.9.21, 25.02.22, 31.03.22, 04.05.22 के द्वारा कोषाधिकारी उदयपुर से भी न्यायिक प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी है। पत्र दि. 04.05.22 के द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, उदयपुर से भी उक्त संबंध में जानकारी चाही गयी है।
3	श्री पूरणमल खीचड क.ले. 6.7.60 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1216 / जांच / 445-49 दि.29.2.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. संग्रहित राजकीय राशि को लंबे समय तक अपने पास रखना 2. आर.सी.आर. सी.बी. की जांच नहीं करना 3. रसीद बुक कार्यालय में जमा नहीं कराना 	नहीं	कोषाधिकारी सीकर 31.8. 2021 के द्वारा परिवर्तित किये गये ।	नहीं	-	प्रकरण में विभागीय पत्रांक 15213-16 दि. 15.1.09 के द्वारा अपराध सं. 15/08 में आरोपी कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी है। अतः प्रकरण कोर्ट के निर्णय होने तक लंबित रखा जाना है। प्रकरण में यू.ओ.नोट दि. 14.5.2020 एवं 16.6.20 14.8.20, 7.12.20, 13.01.21, 12.03.21 के द्वारा कार्मिक-III शाखा से कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी है। विभागीय आदेश दि. 14.7.2021 के द्वारा अति.निदेशक(कार्मिक-III) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । आदेश दि. 31.8.21 के द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित कर कोषाधिकारी सीकर को बनाया गया है परिवहन विभाग को पत्र दि.27.10.21,17.11.21, 06.01.22, 21.02.22, 01.04.22 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव चाहे गये है। अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

4	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता स.ले.अ.ग्रेड-1 1.7.57 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1235/ जांच/ 1033-37 दि.20.5.08	1. श्रीमती पुष्पारानी शर्मा की ग्रेच्यूटी का चैक अपने खाते में जमा कराना(गबन) 2. स्वेच्छा से अनुपस्थित	हाँ	कोषाधिकारी, करौली 27.7.10	हाँ	-	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त । आरोपी से पत्र दि. 18.5.17, 4.8.17, 4.10.17 द्वारा जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन चाहा गया है। जो अभी तक अप्राप्त है। साथ ही पत्र दि.4.10.17, 19.4.18, 18.12.18, 9.5.19, 12.7.19 द्वारा कोषाधिकारी, बून्दी से श्री गुप्ता के विरुद्ध लंबित फौजदारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति/अद्यतन स्थिति की जानारी चाही गयी है। विभागीय पत्र दि. 6.12.2021 के द्वारा प्रकरण में दण्डादेश जारी करने हेतु दण्डादेश का अनुमोदन राज्यपाल से प्राप्त करने हेतु वित्त(मार्गोपाय) विभाग को पत्र जारी किया गया। प्रकरण में विभाग द्वारा एकल पत्रावली मय संलग्न के क्रमांक 1265 दि. 9.03.22 के द्वारा वित्त(राजस्व) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।
5	श्री लक्ष्मी नारायण खण्डेलवाल स.ले.अ. ग्रेड-1 निलंबित, श्री मानसिंह चौहान, स.ल.अ. ग्रेड-1, से.नि. व अन्य संयुक्त जांच	एफ.1(सी) 1501 जांच/ 461-70 दि. 24.08.12	सामाजिक पेंशन में मिलीभगत कर राजकोष को हानि पहुंचाने के आरोप से आरोपित ।	हाँ	कोषाधिकारी कोटा 3.8.09 परिवर्तित आदेश दि. 24.02.14	नहीं	-	आरोपी के अभ्यावेदन पर पत्र दि. 28.6.10 द्वारा कोषाधिकारी, कोटा से सूचना मांगी गई। विभागीय पत्रांक 992 दि. 23.8.10 एवं 1295 दि. 13.10.10 एवं दि. 10.11.10 द्वारा कलक्टर, कोटा से संयुक्त जांच के संबंध में विधिक परीक्षण हेतु लिखा गया। पंजीकृत पत्र दि. 16.3.11 के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु वांछित सूचना चाही गयी है। पुनः अ.शा. पत्र दि. 22.6.11 द्वारा जांच अधिकारी को दि. 31.8.11 तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रकरण में कलक्टर कोटा से संयुक्त जांच करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण एकल पत्रावली पर निदेशक महोदय को अधिकृत करने हेतु राज्य सरकार को भेजा गया है। प्रकरण में संयुक्त जांच किये जाने के संबंध में परिवर्तित/परिवर्धित आरोप पत्र जारी किया गया। जांच

								अधिकारी को पत्र दि. 15.1.14 तथा 28.4.15, 18.5.17, 3.8.17, 24.1.18, 9.4.18, 4.7.2018, 18.12.18, 11.7.19, 31.1.20, 8.7.204.12.2020 द्वारा स्मरण करवाया गया। आदेश दि. 11.01.21 के द्वारा नवीन उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की गयी। पत्र दि. 18.3.21, 9.4.21, 19.7.21, 8.9.21, 23.11.21, 26.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को स्मरण पत्र जारी अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित।
6	श्री इन्द्रलाल सांखला, क.ले. जन्मतिथि 01.09.69	एफ.1(सी) 1294 / जांच / 129-131 दि.15.5.09	कोषाधिकारी पाली के व्यक्तिगत बैंक खाते में अनाधिकृत रूप से राशि रु. 2000 जमा कराने के आरोप से आरोपित है	हाँ	कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर 23.7.09	नहीं	—	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। बचाव सहायक के संबंध में पत्र दि. 29.11.10 के द्वारा दि. 10.12.10 तक प्रस्ताव मांगे गये। पत्र दि. 16.3.11 के द्वारा जांच अधिकारी को दि. 30.4.11 तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अ.शा. पत्र दि. 29.2.12 द्वारा जांच अधिकारी को अविलंब जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रकरण में अ.शा.पत्र दि. 21.02.2022, 22.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
7	श्री सुरेशचन्द्र माथुर स.ले.अ.ग्रेड-II, 10.10.55 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) / जांच / 1259 / 724-27 दि. 15.9.09	जिला कलक्टर जालौर के कार्यालय में सहायता अनुभाग में गौशाला धोला को अनियमित स्वीकृति जारी करने व भुगतान करने के आरोप में।	नहीं	कोषाधिकारी, जालौर, 23.4.19	नहीं	—	आरोपी से अभी उत्तर अपेक्षित है। न्यायालय में लंबित प्रकरण में चार्ज नहीं सुनाये जाने के कारण कार्यवाही लंबित रखी गयी है। पत्र दि. 20.9.10 के द्वारा श्री माथुर को प्रकरण की स्थिति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया। प्रकरण में दि. 21.3.12 को स्मरण पत्र जारी किया गया। पुनः पत्र दि. 9.7.12, 28.9.12 तथा 11.2.13 के द्वारा स्मरण कराया गया। पत्र दि. 25.5.13, 3.7.13 एवं 10.10.13 के द्वारा एस.पी. जालौर से बाद अनुसंधान प्रस्तुत चालान की प्रति चाही गयी है। आरोपी को दि. 20.1.14, 16.6.14,

								23.9.14, 15.12.14 तथा 28.4.15 के द्वारा स्मरण करवाया गया। पत्र दि. 7.7.15 एवं 25.5.16, 1.8.16 15.5.17, 3.8.17, 20.4.18, 23.4.19, 11.8.20, 3.12.20, 6.4.21, 23.11.21, 21.02.22 के द्वारा श्री माथुर के विरुद्ध वाद सं. 363/07 में सहायक निदेशक, अभियोजन, जालौर से प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया। आदेश दि. 18.4.19 के द्वारा कोषाधिकारी, जालौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 3.12.20 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की जाकर पृष्ठांकत प्रति एवं पत्र दि. 2.03.21, 19.7.2021, 29.10.21, 21.02.22, 04.05.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट हेतु स्मरण कराया गया।
8	श्री रामसुख गहलोत स.ले.अ. ग्रेड-I, से.नि. जन्मतिथि 5.7.54 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1487/जांच 641-644 दि. 07.7.11	राज्य सरकार को राशि रु. 38053.50 की हानि पहुंचाने के आरोप में	हाँ	कोषाधिकारी शहर जोधपुर	नहीं		आरोपी को ज्ञापन दि. 07.7.11 के द्वारा आरोप पत्र जारी कियया गया। उत्तर प्राप्त होने पर आदेश दि.19.6.12 के द्वारा कोषाधिकारी(शहर) जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 6.6.14 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी नियुक्त। आरोपी के विरुद्ध भ्र.नि.ब्यूरो में दर्ज अपराध सं. 320/2008 में पत्र दि. 23.7.14 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। भ्र.नि. ब्यूरो. प्रकरण में अभि. स्वीकृति जारी। जांच प्रकरण वर्तमान में स्थगित। अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति दि. 8.5.17 के द्वारा की गयी है। जांच अधिकारी को को अ.शा. प दि. 21.02.2022 एवं पत्र दि. 28.4.22 के द्वारा जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
9	श्री चूतराराम राठौड़	एफ.1(सी) 1494/जांच	अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन नहीं कर लापरवाही के आरोप	हाँ	कोषाधिकारी (शहर)	नहीं		आरोपी को ज्ञापन दि. 29.8.11 के द्वारा आरोप पत्र जारी कियया गया। आरोपी का

	स.ले.अ.ग्रेड-आ, 11.12.61 सेवानिवृत्त	821-825 दि. 29.8.11	से		जोधपुर 10.7.12			उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 27.1.15 से जांच रिमाण्ड। पत्र दि. 23.4.15 एवं 18.6.14, 20.01.22 के द्वारा स्मरण करवाया गया। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित। प्रकरण में न्यायालय ने जांच स्थगित करने के आदेश दिये। यू.ओ.नोट दि. 2.7.20 के द्वारा विधि शाखा को स्थगन अपास्त करने हेतु लिखा गया। कोषाधिकारी शहर, जोधपुर को पत्र दि. 28.4.22 के द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टोस दस्तावेजों के साथ प्रभावी कार्यवाही कराने एवं लंबित याचिका का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु लिखा गया है।
10	श्री इन्द्रलाल सांखला क.ले. जन्मतिथि 01.09.69	एफ.1(सी) 1515/जांच 1295-1297 दि. 2.2.12	आदेशो की अवहेलना, स्वेच्छा से अनुपस्थित एवं आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में	नहीं	कोषाधिकारी (शहर) जयपुर आदेश दि. 8.5.17 के द्वारा	नहीं		आरोपी को ज्ञापन दि.2.2.12 के द्वारा आरोप पत्र जारी कियया गया। आदेश दि. 8.5.17 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय आदेश दि. 4.5.18 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 3.12.2020, 02.03.21 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी को अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखते हुए जांच अधिकारी को जांच पूर्ण कर रिपोर्ट भिजवाते हेतु लिखा गया है। पत्र दि. 27.7.21, 26.10.21, 29.4.22 के द्वारा स्मरण पत्र जारी अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
11	श्री मुकेश चन्द गुप्ता, क.ले. जन्मतिथि 1.5.64	एफ.1(सी) 1563/जांच 7-10 दि. 2.5.13	रु. 26,89,300/- रु. के गबन के आरोप में ।	नहीं	कोषाधिकारी, अलवर 824-28 19.12.13	नहीं		आरोपी को ज्ञापन दि. 2.5.13 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर अप्राप्त है। विभागीय पत्र सं. 307 दि. 20.6.17 के द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली मूल ही लौटाकर जांच को रिमाण्ड किया गया तथा 2 माह में जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। विभागीय पत्र दि. 6.9.17, 24.1.18 15.4.18, 23.7.18, 18.12.18,25.3.19, 11.7.19 26.9.19, 14.2.20, 13.7.20, 20.8.20,

								1.12.20, 10.02.21, 15.7.2021, 23.11.21, 17.02.22, 28.04.22 के द्वारा जांच अधिकारी को स्मरण कराया गया। विभागीय पत्र दि. 23.02.21, 12.8.21 एवं डी.ओ.लेटर दि. 03.01.2022 के द्वारा संबंधित विभाग को प्रकरण से संबंधित सूचनाएं जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
12	श्री ओमप्रकाश टांक, क.ले. जन्मतिथि 15.9.61 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1597 / जांच / 1330-332 दि.3.4.14	गम्भीर वित्तीय अनियमितता के आरोप में।	नहीं	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर 18.7.14	नहीं		आरोपी को ज्ञापन दि. 3.4.14 के द्वारा आरोप पत्र जारी। प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त। जांच अधिकारी को आदेश दि. 23.7.18, 18.12.18, 25.3.19, 11.7.19, 26.9.19, 3.2.2020, 7.7.20, 21.8.20, 3.12.20, 18.03.2021, 15.7.21, दि. 28.4.22 के द्वारा जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अभी जांच रिपोर्ट अप्राप्त। पत्र दि. 18.01.21, 7.4.21, 27.10.21, 18.11.21, 17.02.22 के द्वारा संबंधित विभाग को जांच अधिकारी के समक्ष नियत सुनवाई तिथियों पर उपस्थापक अधिकारी के उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने हेतु लिखा गया है।
13	श्री मुकेश कुमार भारद्वाज, स.ले.अ. ग्रेड-II, जन्मतिथि 6.7.61 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1617 / जांच / 2129-31 दि.12.8.14	प्रतिबंधित ड्रग रखने एवं आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में। प्रकरण प्रवर्तन निदेशालय के अधीन।	हाँ	कोषाधिकारी, ग्रामीण, जयपुर 02.03.21	हाँ	-	आरोपी की दि. 12.8.14 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी को पत्र दि. 20.10.14 के द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु स्मरण कराया गया। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में। प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण में निर्णय के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना है। पत्र दि. 11.11.21, 17.02.22 से राजस्व आ-सूचना निदेशालय से उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी है।

14	श्री लोहड़क्या मीणा, स.ले.अ. ग्रेड-आ. जन्मतिथि 15.7.68	एफ.1(सी) 1650/जांच / 168-172 दि.4.5.15	कार्य के प्रति नियम विरुद्ध एवं घोर लापरवाही के लिए आरोपित।	हाँ	अति. कोषाधिकारी सवाई माधोपुर 22.4.16	नहीं		आरोपी को दि. 4.5.15 के द्वारा आरोप पत्र जारी। जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 21.02.17 एवं पत्र दि. 9.2.17, 10.5.17, 4.8.17, 19.1.18, 17.4.18, 17.7.18, 18.12.18 25.3.19, 11.7.19, 14.3.19, 9.7.19, 26.9.19, 19.2.20, 8.7.20, 3.12.20, 26.02.21, 15.7.2021, 8.10.21, 16.11.21, 04.02.22, 29.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु स्मरण पत्र दिया गया। अभी जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
15	श्री लोहड़क्या मीणा स.ले.अ. ग्रेड-आ. जन्मतिथि 15.7.68	एफ.1(सी) 1673/जांच / 1055-59 दि.15.2.16	पूर्णतया अनुत्तरदायित्व व लापरवाही से कार्य करते हुए राजकीय धनराशि के अपव्यय एवं दुरुपयोग रोकने के दायित्व से विमुख रहते हुए कार्य किया जिसके लिए वे आरोपित है।	हाँ	अति. कोषाधिकारी स.माधोपुर 27.4.16	नहीं		आरोपी को दि. 15.2.16 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर जांच अधिकारी नियुक्त। पत्र दि. 9.2.17, 23.5.17, 4.8.17, 22.1.18 5.4.18, 23.7.18, 18.12.18, 14.3.19, 9.7.19, 25.9.19 17.2.20, 8.7.20, 23.11.2, 27.1.21, 18.03.2021, 15.7.21, 8.10.21, 23.11.21, 04.02.22, 29.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट हेतु स्मरण पत्र दिया गया। अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
16	श्री रतन सिंह मीणा स.ले.अ. ग्रेड-आ. जन्मतिथि 6.7.69	एफ.1(सी) 1677/जांच / 1156-59 दि.21.3.16	बिना ऑडिटर के बिल पारित किये गये है जिसके कारण श्री धर्मसिंह मीणा को जी.पी.एफ. राशि के गबन करने का मौका मिला जिसके लिए श्री रतनसिंह मीणा तत्कालीन उपकोषाधिकारी बाडी आरोपित है	हाँ	कोषाधिकारी, भरतपुर 31.01.17	हाँ		आरोपी को दि. 21.3.16 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरा में जांच अधिकारी नियुक्त। अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित। जांच रिपोर्ट प्राप्त। आरोपी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यू.ओ.नोट दि. 23.4.21, 14.7.21, 12.10.21, 24.11.21, 17.02.22, 31.03.22, 29.4.22 के द्वारा कार्मिक-आ. शाखा से प्रकरण में दर्ज एफ.आई.आर. की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गयी है तथा आरोपित से भी पत्र दि. 29.4.22 के द्वारा उक्त संबंध में जानकारी चाही गयी है जो अभी अप्राप्त है।
17	श्री सांवलराम	एफ.1(सी)	कर्तव्यों के निर्वहन में	नहीं	कोषाधिकारी	नहीं		आरोपी को दि. 18.5.2016 के द्वारा आरोप

	मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, जन्मतिथि 01.2.69	1680/जांच /11326-13 28 दि.18.5. 2016	गम्भीर लापरवाही बरतने के आरोप से आरोपित है		(ग्रामीण) जयपुर 16.7.18			पत्र जारी। विभागीय आदेश दि. 16.7.18 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 18.12.18, 14.3.19, 11. 7.19, 13.2.20, 8.7.20, 1.12.2020, 25.02.21, 6.4.21, 15.7.21, 30.7.21, 8.10.21, 14.12. 21, 27.01.22, 22.02.22, 29.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया। अभी जांच रिपोर्ट अप्राप्त।
18	श्री रतन सिंह मीणा, स.ले.अ. ग्रेड-I, 6.7.69	एफ.1(सी) 1686/जांच /1453-57 दि.11.7.16	राज्य कार्य में लापरवाही बरतने, राजकोष को हानि पहुंचाने तथा पद के दुरुपयोग के लिए आरोपित।	हाँ	कोषाधिकारी, भरतपुर 25.5.17	हाँ		आरोपी को दि. 11.7.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर आदेश दि. 25.5.17 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त। प्रकरण में आरोपित के निलंबन एवं एसीबी में दर्ज मामले की जानकारी यू.ओ.नोट दि. 23.02.21, एवं 19.03.2021 के द्वारा कार्मिक-शाखा से चाही गयी है। पत्र दि. 19.8.21, 23.11.21, 14.02.22 एवं अ.शा.पत्र दि. 01.04.22 के द्वारा कोषाधिकारी, भरतपुर से प्रकरण से संबंधित तीन बिन्दुओं पर टिप्पणी चाही गयी है।
19	श्री सुभाषचन्द मीत्तड, स.ले.अ. ग्रेड-I जन्मतिथि 1.12.57 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1685/जांच /1469-738 दि.15.7.2016	ए.सी.बी. प्रकरण में पक्षद्रोही के आरोप में	नहीं	कोषाधिकारी, चूरू 24.4.17	नहीं		आरोपी को दि. 15.7.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त नहं होने पर आदेश दि. 24.4.17 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त एवं ओदश दि. 7.9.17 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। अभी जांच रिपोर्ट अप्राप्त। आदेश दि. 15.1.18 11.4.18, 12.7.18, 13.12.18, 11.3. 19, 5.7.19, 3.12.19, 7.2.20, 13.7.20 23.11. 20, 25.02.21, 24.6.21, 27.7.21, 8.10.21, 17.02.22, 04.03.22 द्वारा जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट हेतु स्मरण कराया गया।
20	श्री नवलकिशोर, शर्मा, क.ले., जन्मतिथि	एफ.1(सी) 1683/जांच /1485-88	राज्यादेशों की अवहेलना तथा स्वेच्छा से अनुपस्थित	हाँ	कोषाधिकारी (शहर) जयपुर 21.11.19	नहीं		आरोपी को ज्ञापन दि. 18.7.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर आरोपी की दि. 31.10.19 को

	01.7.71	दि.18.7.2016	रहने के आरोप में					व्यक्तिगत सुनवाई नियत की गयी परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए । विभागीय आदेश दि. 21.11.19 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त। विभागीय आदेश दि. 5.2.21 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया एवं पत्र दि. 21.7.21, 8. 10.21, 15.02.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने हेतु आदेश की प्रति पृष्ठांकित की गयी। पत्र दि. 29.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को नियमानुसार आरोपित से बचाव सहायक के प्रस्ताव प्राप्त कर भिजवाने हेतु लिखा गया।
21	श्री विनोद कुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक जन्मतिथि 17.4.79	एफ.1(सी) 1689/जांच /1489-90 दि.18.7.2016	आचरण नियमों के अन्तर्गत दुराचरण करने के आरोप में।	नहीं	श्री बोध कुमार झा सहायक निदेशक कार्मिक-1 शाखा 22.10.19	हाँ		आरोपी को दि. 18.7.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर आदेश दि. 22.10.19, के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त। पत्र दि. 14.02.22, 28.02.22 एवं 28.4. 22 के द्वारा संयुक्त निदेशक(प्रशासन) से प्रकरण में दर्ज किमिनल केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
22	श्री अंगदराम मीणा स.ले.अ. ग्रेड-I, जन्मतिथि 1.7.57 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1681/ जांच/ 274-276 दि. 8.6.2017	विभागीय प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर भुगतान हेतु बिल पारित किये जाने के लिए श्री मीणा आरोपित है(सीसीए नियम 17 से सीसीए नियम 16 में परिवर्तित)	हाँ	कोषाधिकारी, करौली 11.10. 17	हाँ		आरोपी को ज्ञापन दि. 8.6.2017 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। प्रकरण में आदेश दि.11.10.11 द्वारा कोषाधिकारी, करौली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा आरोपी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत पत्र दि. 8.4.21, 15.7.21 के द्वारा प्रकरण में दर्ज मुकदमा सं. 308/14 की वर्तमान स्थिति/अद्यतन स्थिति की जानकारी कार्मिक-1 शाखा से चाही गई है। जो अभी अप्राप्त है। आरोपी की व्यक्तिगत सुनवाई दि. 24.9.21 को व्यक्तिगत सुनवाई की गयी तथा पत्र दि. 26.10.21, 24.11.21,

								2.02.22, 28.02.22, 28.04.22 के द्वारा कार्मिक-1 शाखा से आपराधिक प्रकरण की वर्तमान स्थिति/अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गयी है।
23	श्री सुभाषचन्द मीत्तड, स.ले.अ. ग्रेड-1, 01.12.57 सेवानिवृत्त	एफ.1(सी) 1711/ जांच/ 412-15 दि. 8.8.17	आदेशो/निर्देशों की अवहेलना करने, पद का दुरुपयोग करने तथा कन्डक्ट रूल 1971 के स्पष्ट उल्लंघन करने के आरोप में	हाँ	कोषाधिकारी, चूरु, 21.11.17	हाँ		आरोपी को ज्ञापन दि. 8.8.2017 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विभागीय पत्र दि. 21.04.2022 के द्वारा आरोपी को जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।
24	श्री सुरेश कुमार ठठेरा, क.ले. 14.10.63	एफ.1(सी) 1726/जांच /400-03 दि.29.8.18	सरकारी पद पर पदस्थापित रहते हुए राजकार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना कृत्य के लिए आप आरोपित	हाँ	कोषाधिकारी (शहर), जयपुर 01.07.20	नहीं		आरोपी को ज्ञापन दि. 29.8.18 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर पत्र दि. 20.5.19, 27.6.19 के द्वारा ज.वि.प्रा.जयपुर से उत्तर पर टिप्पणी चाही गयी जो प्राप्त हो गयी है। प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय आदेश दि. 9.11.2020 एवं पत्र दि. 18.02.21, 27.7.21, 29.10.21, 15.02.22, 04.05.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
25	श्री विनोद कुमार मीणा, क.स. 17.4.79	एफ.1(सी) 1728/जांच /293-94 दि.24.5.19	कार्यालय से बिना अवकाश स्वीकृत कराये कर्तव्य से 9 माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के आरोप में।	नहीं	श्री बोधकुमार झा, सहायक निदेशक (कार्मिक-1) 10.9.20	हाँ	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 24.5.19 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। अभी उत्तर अपेक्षित है। आरोपी को पत्र दि. 4.7.19, रस्टिर्ड पत्र दि. 4.12.19 एवं पत्र दि. 11.2.20, 01.06.20, 20.8.20 के द्वारा आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है जो अभी तक अप्राप्त है। विभागीय आदेश दि. 10.9.2020 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी की दि. 21.02.22 को व्यक्तिगत सुनवाई नियत की गयी लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। रजि.पत्र दि. 4.3.

								22 के द्वारा आरोपी से जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। यू.ओ. नोट दि. 29.4.22 के द्वारा जे.डी प्रशासन से सूचना चाही गयी है जो अभी अप्राप्त है।
26	श्री जितेन्द्र वाजपेयी, स.ले.अ. ग्रेड-11 25.5.70	एफ.1(सी) 1734/जांच /768-72 दि.20.3.20	पर्यवेक्षणीय लापरवाही बरतने के कारण राजकोष को रु. 146857925/- का गबन कारित हुआ व सरकार को वित्तीय हानि हुई जिसके लिए आरोपित है।	नहीं	कोषाधिकारी, सीकर 9.4.21 से परिवर्तित	नहीं	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 20.3.20 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। अभी उत्तर अपेक्षित है। विभागीय आदेश दि.9.4.21 के द्वारा कोषाधिकारी, हनुमानगढ के स्थान पर कोषाधिकारी सीकर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 16.3.21 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जाकर आदेश की पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 12.7.21, 16.8.21 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा गया। आदेश दि. 23.7.21, 24.11.21 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 27.12.21 के पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 15.02.22, 22.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।
27	श्री विनोद कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक 17.4.79	एफ.1(सी) 1736/जांच /917-920 दि.29.7.20	स्वेच्छा से कार्यालय से अनुपस्थित रहने व आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में।	नहीं	श्री बोधकुमार झा,सहायक निदेशक (कार्मिक-1) कोष एवं लेखा 02.03.2021	हाँ	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 29.7.20 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पत्र दि. 20.10.20, 10.02.21 जारी किया गया आरोपी से उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आदेश दि. 02.03.21 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी की दि. 21.02.22 को व्यक्तिगत सुनवाई नियत की गयी लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में रजि.पत्र दि. 4.3.22 के द्वारा आरोपी को जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया।
28	श्री गणपतलाल	एफ.1(सी)	अनुदान राशि का संबंधित	हाँ	कोषाधिकारी	हाँ	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 07.08.2020 के द्वारा

	मीणा, स.ले.अ. ग्रेड-I 03.03. 1966	1737/जांच /08-11 दि. 07.8.20	लाभार्थियों के भुगतान नहीं कर अन्य व्यक्ति को भुगतान कर लाभार्थियों की राशि का गबन करने में संलिप्तता एवं लापरवाही बरतने का आरोप।		(ग्रामीण) जयपुर 16.9. 2020			आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण में आदेश दि. 16.9.2020 के द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी। आदेश दि. 02.8.21 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। यू.ओ. नोट दि. 14.02.22 एवं 24.03.22 के द्वारा कार्मिक शाखा से प्रकरण में दर्ज एफ. आईआर की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी। तथा पत्र दि. 7.4.22 के द्वारा पुलिस थाना गोविन्दगढ, जयपुर से भी उक्त संबंध में जानकारी चाही गयी है। जो अभी अपेक्षित है।
29	श्री इन्द्रलाल सांखला, क.ले. 01.09.1969	एफ.1(सी) 1741/जांच /272-276 दि.12.01.21	कार्यालय का रिकॉर्ड अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु पेंशनर के घर पर देना न केवल लोक सेवक के आचरण के विपरीत है बल्कि आपकी भ्रष्ट छवि को दर्शाता है जिसके लिए आरोपित।	नहीं	कोषाधिकारी, उदयपुर 6.4.21	नहीं	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 12.01.2021 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। अभी उत्तर अपेक्षित है। स्मरण पत्र दि. 15.02.21 के द्वारा आरोपी को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। आरोपी से उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आदेश दि. 6.4.21 के द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। आदेश दि. 04.02.22 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की जाकर जांच अधिकारी को पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 26.4.22 के द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
30	श्री युधिष्ठिर कुमार क.ले. 13.04.1987	एफ.1(सी) 1742/जांच /289-292 दि.19.1.21	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर के द्वारा परिपत्र के अनुसार कार्यवाही न कर अनियमित कार्य करने के आरोप से आरोपित है।	हाँ	कोषाधिकारी, ग्रामीण, जोधपुर दि. 29.10.21	नहीं	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 19.01.2021 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित विभाग से विभागीय पत्र दि. 11.02.2021 के द्वारा उत्तर पर टिप्पणी चाही गयी है। वांछित टिप्पणी प्राप्त नहं होने पर प्रकरण में पत्र दि 29.10.21 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 7.4.22 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की गयी

								तथा पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 26.04.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया।
31	श्री बाबूलाल मीना, स.ले.अ.ग्रेड-I 13.09.1979	एफ.1(सी) 1744/जांच /438-441 दि.12.03.21	राजकोष से बिल पारित कर स्वयं के खाते में भुगतान करने के प्रयास कर राजकोष से राशि गबन करने के प्रयास करने के आरोप में	नहीं	कोषाधिकारी, (ग्रामीण) जयपुर 7.6.21	नहीं	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 12.03.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। प्रकरण में आदेश दि. 7.6.21 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तथा आदेश दि. 27.12.21 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी परिवर्तित कर पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 02.02.22 एवं पत्र दि.21.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु दी गयी।
32	श्री जमूनादास शिवहरी, स.ले.अ.ग्रेड-I 2.01.1972	एफ.1(सी) 1746/जांच /504-508 दि.19.03.21	राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 212 नियम 2013 के नियमों का उल्लंघन कर सीमा से अधिक भुगतान करने के आरोप में।	हाँ	कोषाधिकारी भरतपुर 27.12.2021	नहीं	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 19.03.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर प्राप्त होने पर आदेश दि. 27.12.2021 के द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी। आदेश दि. 4.2.22 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की जाकर पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 26.04.22 द्वारा शीघ्र जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
33	सुश्री अमृता योगी, क.ले. 07.07.1988	एफ.1(सी) 1751/जांच /773-777 दि.24.8.21	उच्चाधिकारियों के प्रति असंसदीय, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने तथा अनुचित व अशोभनीय आचरण करने के लिए आरापित।	नहीं	कोषाधिकारी (ग्रामीण) उदयपुर 31.03.22 से	नहीं	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 24.8.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी के द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करने पर विभागीय आदेश दि. 4.1.22 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी। आदेश दि.7.2.22 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की गयी आदेश दि. 31.03.22 के द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किया गया।
34	श्री रविन्द्र कुमार बैरवा, स.ले.अ. ग्रेड-I, 28.11.68	एफ.1(सी) 1745/जांच /867-870 दि.1.10.21	गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतने एवं अनियमित भुगतान किये जाने के आरोप में	हाँ	कोषाधिकारी, शहर, जयपुर 29.10.21	नहीं	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 01.10.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर प्राप्त होने पर आदेश दि. 29.10.21 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 18.11.21, 15.02.22, 4.3.22, 18.4.

								22 के द्वारा मदरसा बोर्ड जयपुर को उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति हेतु नाम व पदनाम के प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।
35	श्री भोमजीत सिंह राठौड, क.ले. 6.9.85	एफ.1(सी) 1753/जांच /890-893 दि.20.10.21	कार्य के प्रति उदासिनता बरतने, अनुशासनहीनता व गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के लिए आरोपित	हाँ	कोषाधिकारी (ग्रामीण), जयपुर	नहीं	—	आरोपी को ज्ञापन दि. 20.10.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण में जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी तथ आदेश दि. 06.1.22 को प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की जाकर जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने हेतु पत्र दि. 17.02.22, 26.4.22 के द्वारा लिखा गया।
36	श्री लोकेन्द्र सिंह, क.ले. 08.08.91	एफ.1(सी) 1754/जांच /894-897 दि.20.10.21	सर्किट हाउस मैनुअल में दिये गये निर्देशों व विभागीय आदेशों की अवहेलना करने, पूर्व में अधिग्रहित कक्षों को अपने निजी जानकारों को उपलब्ध करवाने, अनियमितता बरतने के लिए आरोपित	हाँ	कोषाधिकारी (शहर) जयपुर 10.01.2022	नहीं	—	आरोपी को ज्ञापन दि. 20.10.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण में जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी। आदेश दि. 30.3.22 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की गयी तथा पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 26.04.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया।
37	श्री अमन जोरवाल, क.ले. 03.10.1980	एफ.1(सी) 1755/जांच /982-85 दि.22.11.21	बिना अवकाश स्वीकृत कराये व बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से 797 दिवस अनुपस्थित रहने के आरोप में।	हाँ	कोषाधिकारी, कोटा 04.01.22	नहीं	—	आरोपी को ज्ञापन दि. 20.10.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण में जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी। विभागीय आदेश दि. 29.03.22 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की गयी तथा आदेश की पृष्ठांकित प्रति एवं पत्र दि. 22.4.22 द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
38	श्री अभिषेक तानाण, क.ले.	एफ.1(सी) 1758/जांच /39-41 दि.	कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की	नहीं	—	—	—	आरोपी को ज्ञापन दि. 25.04.22 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर अपेक्षित है।

	13.01.1993	25.04.2022	अवहेलना करने तथा स्वेच्छिक अनुपस्थित रहने के लिए आरोपित					
--	------------	------------	---	--	--	--	--	--

निम्न दो प्रकरणों में आरोप पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है:—

1. श्री सुभाषचन्द्र महावर, कनिष्ठ लेखाकार जन्मतिथि 15.8.1989